International Journal of Education and Science Research Review
IJESRR
E-ISSN 2348-6457
Volume-10, Issue-2 March-April-2023
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

''शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों एवं माता–पिता के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन''

शोध पर्यवेक्षक :
डॉ० वी०के० शर्मा
विभागाध्यक्ष एवं डीन
ग्लोकल यूनिवर्सिटी, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर

शोधकर्त्ता :
ब्रिजेश कुमार
ग्लोकल यूनिवर्सिटी, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर

शोध सार

प्रत्येक राष्ट्र की भावी नीतियों में प्राथमिक शिक्षा को उच्च स्थान प्राप्त है प्राथमिक शिक्षा ही पहली सीढ़ी है जिसे सफलता पूर्वक पार करके कोई राष्ट्र अपने पूर्ण लक्ष्यों तक पहुँचता है। राष्ट्रीय जीवन में जितना घनिष्ट सम्बन्ध प्राथमिक शिक्षा का है उतना अधिक उच्च शिक्षा का नहीं। विश्व के प्रत्येक विकसित राष्ट्र ने अपने प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सबसे अधिक महत्त्व दिया है। राष्ट्रीय विचार धारा एवं चरित्र का निर्माण करने में जितना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राथमिक शिक्षा का है उतना किसी अन्य शैक्षिणक गतिविधि का नहीं है।

बीज शब्द–*शिक्षा, क्रियान्वयन, शिक्षा के अधिकार, प्राथमिक विद्यालय।*

प्रस्तावना–

शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति का मूल आधार है। शिक्षा के प्रकाश में ही राष्ट्र के आदर्श नागरिक निर्मित होते है। समाज को दिशा देने तथा विकास पथ पर अग्रसरित करने का एकमात्र साधन शिक्षा ही है। अतः प्रत्येक राष्ट्र, जो ऊँचा उठने की महत्त्वाकांक्षा रखता है, जन समूह की शिक्षा की व्यवस्था करता है। देश में नन्हें बालक और भावी नागरिकों के लिये पाठशालायें/विद्यालय खोलता है।

महात्मा गाँधी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के शरीर, मन तथा आत्मा की सर्वोत्तमता का प्रगटीकरण है। शिक्षा व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक, सांवेगिक, नैतिक और आर्थिक विकास करती है। यह व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास की ओर उन्नमुख होती है। अतः शिक्षा राष्ट्र विकास का आधार स्तम्भ है। कोई भी राष्ट्र या समाज बिना शिक्षा के विकसित नहीं हो सकता।

प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बीच में ही पढ़ाई छोड़कर जाने का प्रतिशत भी बहुत ज्यादा है, इस प्रकार के छात्रों में भी सबसे ज्यादा बालिकाओं का प्रतिशत है। चूंकि प्राथमिक विद्यालयों में आज विद्यार्थी सिर्फ नीचे तबके के ही आते हैं और जैसे ही इन्हें कोई काम मिलता है तो ये विद्यालय जाना बन्द कर देते है। ऐसे में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता गिरने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि शिक्षक किसी भी बच्चे को न तो दण्डित कर सकता है, न ही उसका रजिस्टर से नाम काट सकता है और न ही उसे फेल कर

सकता है। इन परिस्थितियों में बच्चे सिर्फ छात्रवृत्ति व अन्य सामान को बटोरने के लिये ही एक स्कूल से दूसरे स्कूलों में जाते रहते है।

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के ऊपर शिक्षण कार्य से ज्यादा अन्य कार्यों जैसे–रजिस्टर Maintain छात्रवृत्ति, बॉटना, शिक्षण सामग्री वितरित करना, बच्चों का बैंक में जाकर खाता खुलवाना, मिड–डे–मील वितरित करना, जनगणना इत्यादि कार्यों में सारा समय चला जाता है। ऐसे में पाठक्रम को पूरा कराना बहुत कठिन है। अध्यापकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बच्चों को पढ़ाना है। 2012 में ASER (Annual Status of Education) ने एक सर्वे कराया जिसमे पाया कि पाँचवीं कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक छात्र Text Book पढने में असमर्थ थे सिर्फ 40 प्रतिशत छात्र ही ऐसे थे जोकि ठीक–ठीक पढ़ पा रहे थे। ASER के एक सर्वे में बताया गया कि भारत में 100 मिलियन से भी अधिक बच्चों का स्तर अपनी उम्र से दो या तीन साल पीछे रहता है। अध्यापन कार्य कराते समय अध्यापक के समक्ष चार मुख्य समस्याऐं आती है।

- सही जानकारी का अभाव।
- अनुभवी अध्यापकों की कमी।
- सही Lesson Planning की समस्या।
- उत्साह की कमी।

संविधान के अनुछेद 45 में राज्य नीति–निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत यह व्यवस्था बनाई गई थी कि संविधान को अंगीकृत करके 10 वर्षों के अन्दर 6–14 वर्ग के सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाये। किन्तु आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी हम प्रत्येक बच्वें को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाये है। हालांकि सरकार का भरसक प्रयास है कि प्रत्येक बच्वें की पहुँच बेसिक शिक्षा तक होनी चाहिये। इसी के चलते सरकार ने Child Labour को प्रतिबंधित किया है, ताकि अधिक से अधिक बच्वें स्कूल जायें। लेकिन निःशुल्क शिक्षा व बच्चों के श्रम पर प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद भी आर्थिक असमानता व सामाजिक विभिन्नता के चलते बहुत बच्वें आज भी स्कूल नहीं जा पाते है। संसाधनों के अभाव के चलते प्राईमरी शिक्षा में उतना सुधार नहीं हो पा रहा है, जितना कि होना चाहिये प्राईमरी स्कूलों में बेसिक चीजें जैसे–फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, शिक्षक व सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्कूलों में आने वाले बच्चों का प्रतिशत बहुत कम है।

स्वतन्त्र्योत्तर भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का विकास

15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतन्त्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना संविधान लागू किया गया। संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के बारे में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह प्रावधान रखा गया कि दस वर्ष की अवधि में राज्य 14 वर्ष की आयु सीमा तक के समस्त बालक–बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यह लक्ष्य संविधान में वर्णित अवधि के अनुसार सन् 1960 में पूरा हो जाना चाहिए था, किन्तु प्रारम्भिक शिक्षा को सार्वजनिक बनाये जाने के मार्ग में अनेक बाधाएँ उत्पन्न होते रहने के कारण अभी तक इस लक्ष्य की प्राप्ति नही की जा सकी। हमारी नई शिक्षा नीति 1986 में इस लक्ष्य को सन् 1995 तक पूरा किये जाने

का संकल्प लिया गया है, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस अवधि तक भी यह लक्ष्य पूरा होने की सम्भावना दिखाई नहीं देती। नवीन शिक्षा नीति में उल्लेख किया गया है कि सार्वभौमिक शिक्षा का उद्देश्य से 11 वर्ष तक की अवस्था के उन छात्रों को लक्ष्य बनाया जाएगा, जो औपचारिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा के माध्यमों से 5 वर्षों की विद्यालयी शिक्षा को पूर्ण कर रहे है।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु किये गये सरकारी उपाय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थीयों की कक्षा में उपस्थिति बढ़ाने के निम्नलिखित अनेकों योजनाओं आरम्भ की गयी हैं।

- जवाहर नवोदय विद्यालय (1986)
- ऑपरेशन ब्लैक–बोर्ड (O.B.D-1987)
- महिला समाख्या योजना (1989)
- जनपदीय प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी० 1994)
- प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (1995)
  - सर्व शिक्षा अभियान (S. S.A 2000-2001)
  - सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की महत्त्वपूर्ण कार्यनीतियाँ

समस्या कथन

"शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों एवं माता-पिता के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन"

समस्या में प्रयुक्त प्रत्ययों का विवरण

शिक्षा के अधिकार अधिनियम (भारत सरकार के राजपत्र स0 39, 27/8/2009 के अनुसार) 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया शिक्षा का अधिकार कानून सरकार की समावेशी विकास नीति का एक अहम् हिस्सा है। इस कानून में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर खास जोर दिया गया है। बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार बनाने का सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला आने वाले समय में देश की दिशा और दशा तय करेगा। यह देश में सामाजिक असमानता को मिटाने की ओर एक ठोस कदम हैं। शिक्षा के अधिकार कानून देश के भविष्य को मजबूत और साक्षर बनाने के अलावा नई पीढ़ी को आत्म–सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। इसके जरिऐ सरकार ने 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है लेकिन गरीब बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने का काम कोई आसान नहीं है। इसमें केन्द्र और राज्य सरकार के अलावा, शिक्षकों, अभिभावकों, गैर सरकारी संगठनों और समूचे समाज को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान

6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति व शिक्षा की समाप्ति सुनिश्चित करें।

शोध समस्या की आवश्यकता एवं महत्त्व

किसी भी सभ्य समाज के लिये उस समाज का शिक्षित होना अनिवार्य है। परन्तु आजादी के 76 वर्षों के पश्चात् भी भारत में शिक्षा एक दूरगामी स्वप्न है। सरकार के भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी प्राथमिक शिक्षा का स्तर दिन–प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में प्रर्याप्त शिक्षक, शिक्षण सामग्री, फर्नीचर व पर्याप्त इमारत के साथ–साथ बच्चों की उपस्थिति भी अनिवार्य है। परन्तु उपर्युक्त सभी बातों का विद्यालयों में अभाव पाया जाता है। एक तरफ जहां स्कूलों में इमारत के नाम पर सिर्फ एक–दो कमरा व चारदीवारी ही दिखायी पड़ती है, तो बच्चे भी स्कूलों में सिर्फ रजिस्टरों में ही दिखायी पड़ती है। 70 प्रतिशत से अधिक बच्चों का एडमिशन चार से पाँच स्कूलों में होता है। स्कूलों में जाने का उनका मकसद मात्र छात्रवृत्ति, मिड–डे–मील व शिक्षण सामग्री प्राप्त करना होता है। ऐसी स्थिति में मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना गौण ही दिखाई पड़ता है। पाँचवी कक्षा का छात्र भी मात्र हस्ताक्षर करना ही जानता है, ऐसी स्थिति में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखना बहुत मुश्किल है।

भारत वर्ष में स्वतन्त्रता कें पश्चात् प्रत्येक सरकार ने विद्यालय स्थापना तथा गुणवत्तापरक शिक्षा की बात को प्राथमिकता पर रखकर कार्य किया है। लगभग सभी क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित होने के पश्चात् वहां के वातावरण, पठन–पाठन, अध्यापन, खेल–कूद तथा अन्य बहुत सी क्रियाऐं बच्चों के विकास के लिए विद्यालयों में करायी जाती है। संस्थागत वातावरण का बच्चों के पठन–पाठन में बहुत अधिक महत्त्व है। प्राथमिक विद्यालय एक ऐसा स्थान है। जहां बच्चें का भावी जीवन तैयार होता है।

एक आदर्श नागरिक तैयार करने का सम्पूर्ण कर्त्तव्य विद्यालयों में होने वाले अध्यापन कार्य तथा बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि से है। प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध की आवश्यकता इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि क्या प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थीयों की शैक्षिक उपलब्धि का स्तर उपर्युक्त है या नहीं। वर्तमान परिवेश में, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार बाल केन्द्रित शिक्षा को आधार मानकर पाठयक्रम की रचना की जा रही है। दूसरी तरफ, सरकार अध्यापकों की नियमित नियुक्ति करके अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में इन विद्यालयों से पढ़कर निकलने वाले विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास उसी प्रकार से होना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की अधिक है कि छात्र जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वह मुल्यपरक है अथवा नहीं। तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने पर प्रत्येक दृष्टिकोण से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सरकार द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय और प्रबन्धन द्वारा स्थापित अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालय अपन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्थागत वातावरण तथा बच्चों के व्यक्तित्व के विकास हेतु कार्य की ओर अग्रसर है अथवा नहीं।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

1. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च विद्यालय के अध्यापकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन करना।

2. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में शहरी क्षेत्र के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

3. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में शहरी क्षेत्र के गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों व अध्यापिकाओं के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

4. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएं

1. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के दृष्टिकोण मे सार्थक अन्तर नहीं है।

2. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में शहरी क्षेत्र के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के दृष्टिकोण मे सार्थक अन्तर नहीं है।

3. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में शहरी क्षेत्र के गैर सरकारीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

4. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध विधि

परिकल्पना 1 : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

उपर्युक्त : परिकल्पना को 'टी' परीक्षण द्वारा विश्लेषित कर अध्ययन किया गया जिसके परिणाम निम्न तालिका में दर्शाए गये है।

International Journal of Education and Science Research Review
Volume-10, Issue-2 March-April-2023 E-ISSN 2348-6457 P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

तालिका स० 4.1

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के दृष्टिकोण का अध्ययन

अध्यापक	N	M	SD	't'
शहरी	240	71.95	12.56	13.39 **
ग्रामीण	240	54.78	15.38	

Df- 478 .05=1.96

.01=2.59

व्याख्या : जैसा कि उपर्युक्त तालिका में इंगित है प्राप्त 'टी' मूल्य (13.39) जो कि सार्थकता के दोनों स्तरों (.05 एवं .01) पर सारणी मान से अधिक है। अतः परिकल्पना (4.1) अस्वीकृत की जाती है, अध्यापकों का मध्यमान (71.95) है एवं ग्रामीण क्षेत्र का मध्यमान (54.78) है अतः ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा क्षेत्र के अध्यापकों का मध्यमान (54.78) अधिक है इससे तात्पर्य यह है कि दोनों अध्ययन गत चरों में सार्थक अन्तर है। सारणी में दिये गये मध्यमानों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते है।

निष्कर्ष : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के प्रति क्षेत्र के अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों की अपेक्षा अधिक चिन्तनपरक है।

परिचर्चा : ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षकों की अपेक्षा शिक्षा क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों से अवगत नहीं हो पाते है, इस कारण ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति स्पष्ट चिन्तन नहीं कर पाते है। उनकी यह तटस्थता वातावरण जनित भी हो सकती है।

International Journal of Education and Science Research Review
Volume-10, Issue-2 March-April-2023 E-ISSN 2348-6457 P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

परिकल्पना सं०–1 के परीक्षणोपरान्त प्राप्त मध्यमानों

एवं मानक विचलनों की स्थिति

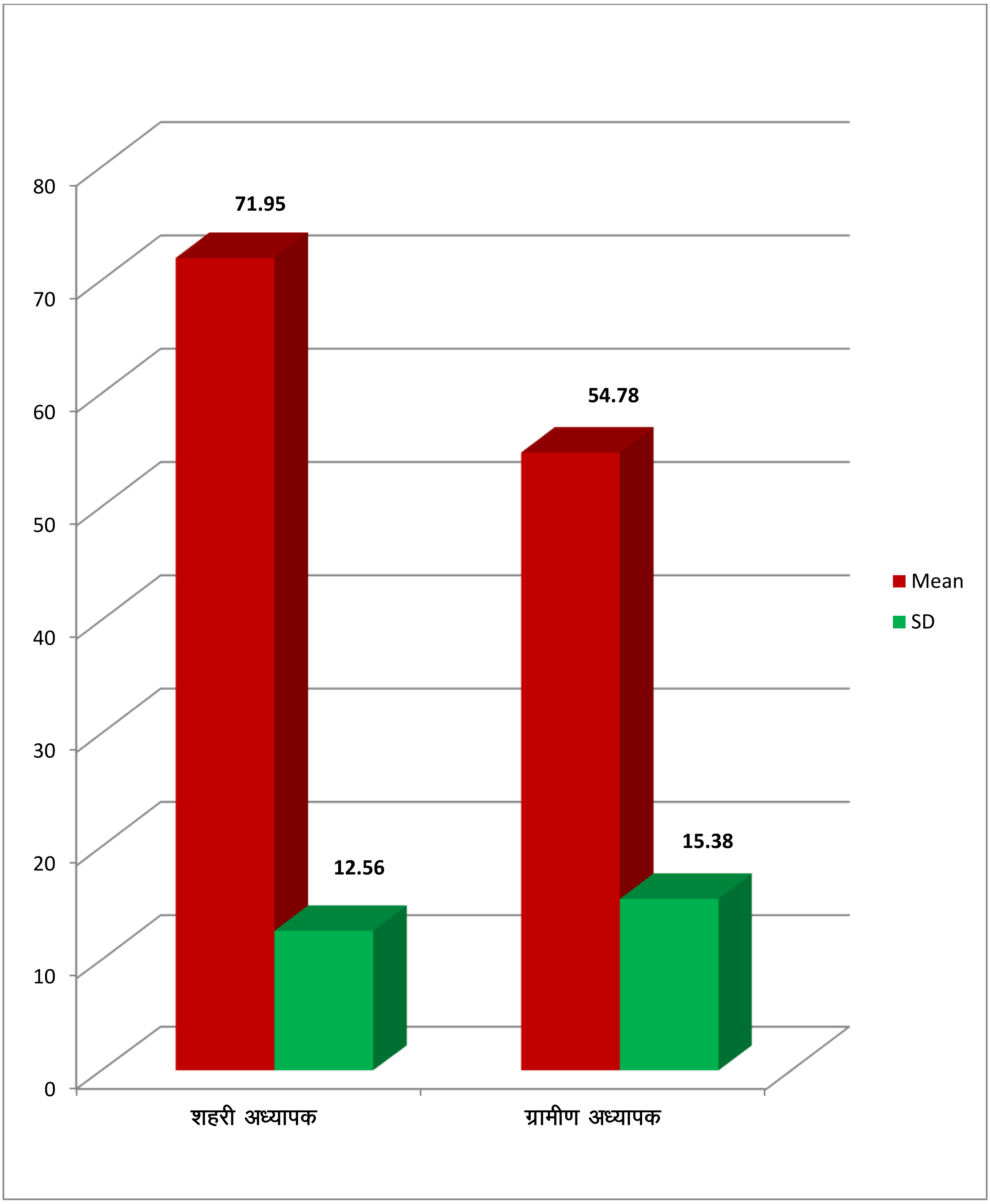

परिकल्पना 2 : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में शहरी क्षेत्र के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

उपर्युक्त : परिकल्पना को 'टी' परीक्षण द्वारा विश्लेषित कर अध्ययन किया गया जिसके परिणाम निम्न तालिका में दर्शाए गये है।

सारणी 4.2

शहरी क्षेत्र के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के दृष्किोण का अध्ययन

शहरी क्षेत्र	N	M	SD	't'
अध्यापक	60	54.86	12.41	9.89 **
अध्यापिकाऐं	60	79.44	14.70	

Df -118 .05=1.98

.01 = 2.62

व्याख्या : उपर्युक्त तालिका में प्राप्त 'टी' मूल्य (9.89) है जो कि सार्थकता के दोनों स्तर (.05 एवं .01) पर सारणी मान से अधिक है। अतः उपर्युक्त परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। क्षेत्र उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सेवारत् अध्यापकों का मध्यमान (54.86) है अतः क्षेत्र की अध्यापिकाओं का मध्यमान (79.44) है क्षेत्र की अध्यापिकाओं का मध्यमान अध्यापकों की अपेक्षा अधिक है जिसका तात्पर्य यह है कि दोनों समूह के दृष्टिकोण में शिक्षा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के प्रति सार्थक अन्तर है। उपर्युक्त तालिका में दिये गये विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है दिये गये मध्यमानों से स्पष्ट है कि क्षेत्र के अध्यापकों की अपेक्षा क्षेत्र की अध्यापिकाएं अधिक शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है।

निष्कर्ष : क्षेत्र उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सेवारत् अध्यापिकाएं, अध्यापकों की अपेक्षा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के प्रति अधिक जागरूकता परिलक्षित करती है।

परिचर्चा : महिला अध्यापक बाल शिक्षा की आवश्यकता को लेकर अधिक सजग एवं सचेत रहती है, क्योंकि महिलाऐं स्वाभाविक रूप से अधिक सक्रिय एवं परिवेश में घटित होने वाली गतिविधियों के प्रति अधिक सवेंदनशील होती है। इसलिए पुरूष अध्यापकों की तुलना में क्षेत्र की सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिकाएं, अध्यापकों की अपेक्षा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के प्रति अधिक सजग एवं जागरूक है।

परिकल्पना सं०–2 के परीक्षणोपरान्त प्राप्त मध्यमानों

एवं मानक विचलनों की स्थिति

International Journal of Education and Science Research Review
Volume-10, Issue-2 March-April-2023 E-ISSN 2348-6457 P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

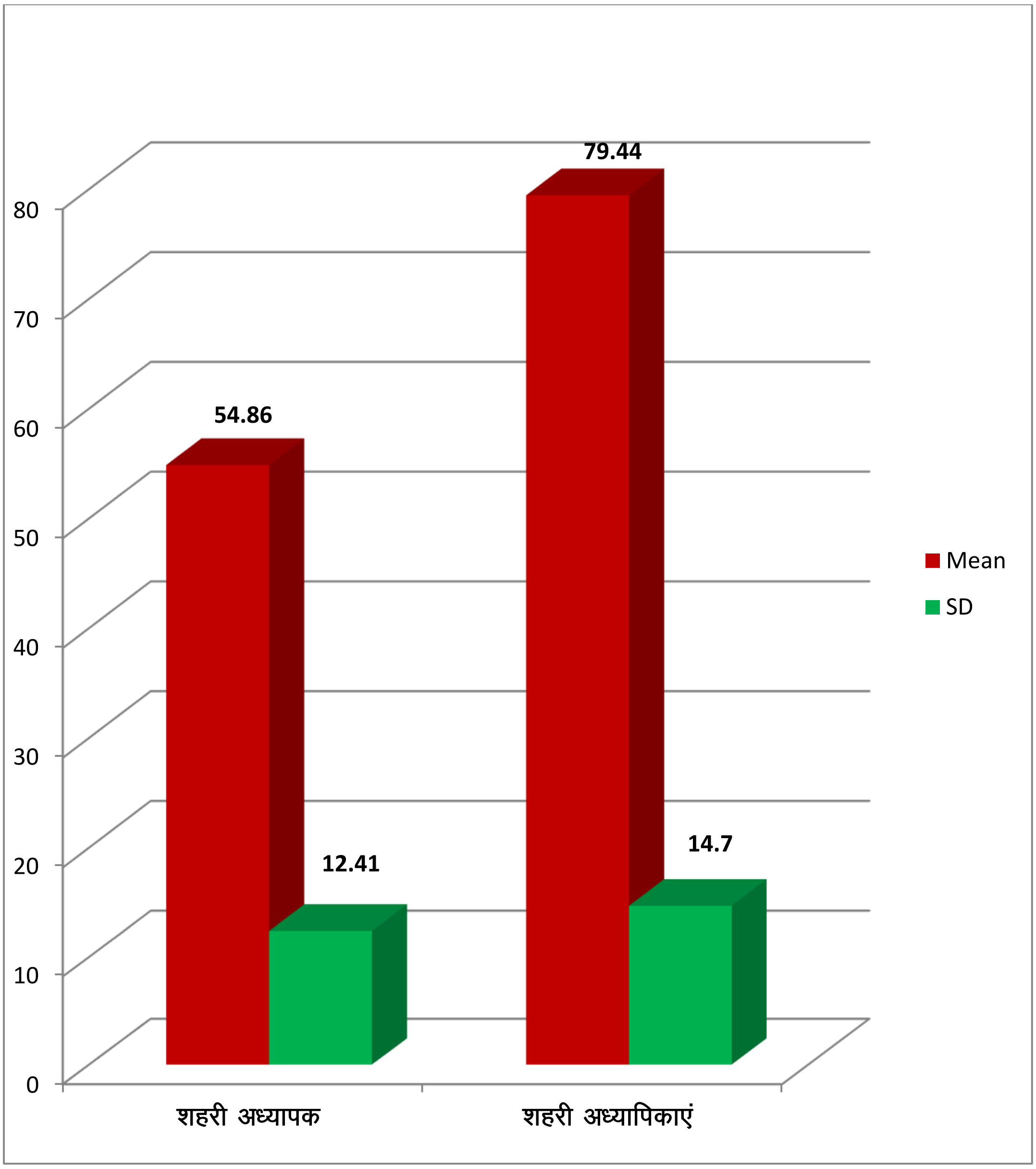

परिकल्पना 3 : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में शहरी क्षेत्र के गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

उपर्युक्त : परिकल्पना को 'टी' परीक्षण द्वारा विश्लेषित कर अध्ययन किया गया जिसके परिणाम निम्न तालिका में दर्शाए गये है।

सारणी न० 4.3

शहरी क्षेत्र के गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के दृष्टिकोण का अध्ययन

शहरी क्षेत्र के गैर सरकारी विद्यालय	N	M	SD	't'
अध्यापक	60	64.18	15.53	0.17
अध्यापिकाऐं	60	63.70	15.21	

Df- 118 .05=1.98

.01=2.62

व्याख्या : उपर्युक्त तालिका में दिये गये विश्लेषण में प्राप्त 'टी' मूल्य (0.17) है जो कि सार्थकता के दोनों स्तर (.05 एवं .01) पर सारणी मान से न्यून है। अतः प्रश्न गत परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। इसका तात्पर्य है कि क्षेत्र के गैर–सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं में शिक्षा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है। दोनों समूह शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के प्रति एक समान चिन्तन रखतें है।

निष्कर्ष : क्षेत्र के गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यलायों के अध्यापक एवं अध्यापिकाएं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के प्रति समान प्रकार से चिन्तन करते है।

परिचर्चा : *"जैसा कि कहा जाता है सभी बुद्धिमान व्यक्ति एक जैसा सोचते है"* क्षेत्र के गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के प्रति समान दृष्टिकोण रखते है ऐसा इसलिए सम्भव है कि गैर सरकारी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं अपनी सेवा शर्तें एवं कार्य दशा संतोषजनक न होने के कारण शिक्षा जगत से सम्बन्धित सुधारों के प्रति एक समान राय रखते है।

परिकल्पना सं०–3 के परीक्षणोपरान्त प्राप्त मध्यमानों एवं मानक विचलनों की स्थिति

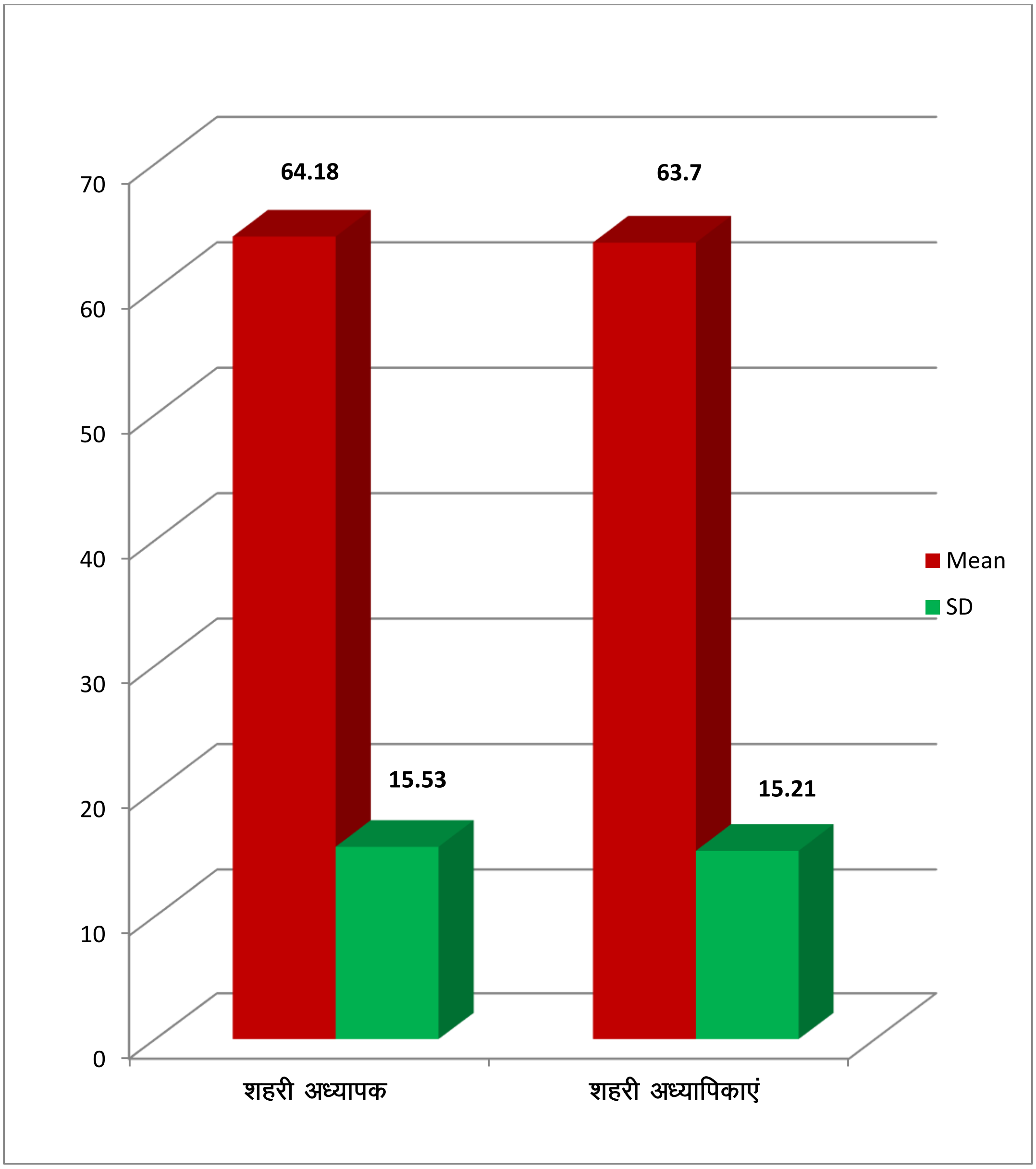

परिकल्पना 4 : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

उपर्युक्त : परिकल्पना को 'टी' परीक्षण द्वारा विश्लेषित कर अध्ययन किया गया जिसके परिणाम निम्न तालिका में दर्शाए गये है।

सारणी न० 4.4

ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के दृष्टिकोण का अध्ययन

ग्रामीण क्षेत्र	N	M	SD	't'
अध्यापक	60	57.93	15.55	1.43
अध्यापिकाऐं	60	54.13	13.28	

Df- 118 .05 = 1.98

.01 = 2.62

व्याख्या : उपर्युक्त तालिका में दिये गये विश्लेषण में प्राप्त 'टी' मूल्य (1.43) जो कि सार्थकता के दोनों स्तरों पर (.05 एवं .01) सारणी मान से न्यून है। प्राप्त 'टी' मूल्य के आधार पर प्रश्नगत परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। मध्यमानों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि दोनों समूह के मध्यमानों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक एवं अध्यापिकाएं शिक्षा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के प्रति एक समान विचार धारा रखते है। अतः ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक एवं अध्यापिकाएं में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति एक समान दृष्किोण रखते है।

निष्कर्ष : ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सेवारत् अध्यापक एवं अध्यापिकाएं शिक्षा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में एक समान दृष्टिकोण रखते है।

परिचर्चा : ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के दृष्टिकोण के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश नूतन परिवर्तनों के प्रति प्रभावशाली नहीं होता है क्योंकि सूचना संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी क्षेत्र की तुलना में पिछड़ा होता है जिसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के दृष्टिकोण पर परिलक्षित होता है।

परिकल्पना सं०–4 के परीक्षणोपरान्त प्राप्त मध्यमानों

एवं मानक विचलनों की स्थिति

International Journal of Education and Science Research Review
Volume-10, Issue-2 March-April-2023 E-ISSN 2348-6457 P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

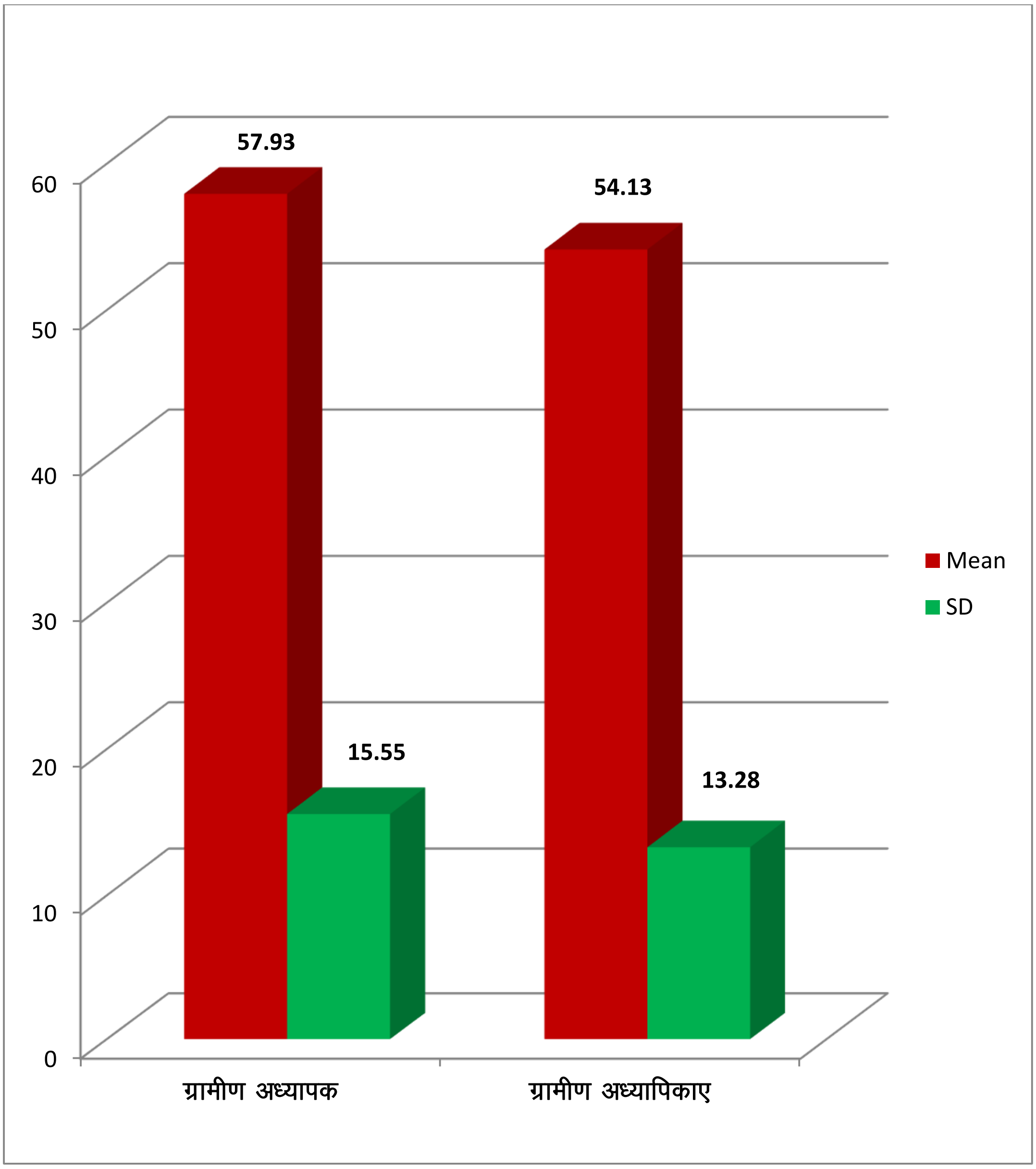

शोध अध्ययन का परिसीमन

प्रस्तुत शोध अध्ययन सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक सीमित हैं। शोध अध्ययन शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अध्यापकों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण के अध्ययन तक परिसीमित है। प्रस्तुत शोध 480 अध्यापक/अध्यापिकाएं एवं 200 अभिभावकों के न्यादर्श तक परिसीमित है। शोध कार्य अनुसंधानकर्ता की सीमा एवं क्षमता तक परिसीमित है।

निष्कर्ष–

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के प्रति शहरी क्षेत्र के अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों की अपेक्षा अधिक सकारात्मक चिन्तनपरक है।

1. शिक्षा के आधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में शहरी क्षेत्र के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष : शहरी क्षेत्र उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सेवारत् अध्यापिकाएं, अध्यापकों की अपेक्षा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ के प्रति अधिक जागरूकता परिलक्षित करती है।

2. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में शहरी क्षेत्र के गैर सरकारीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष : शहरी क्षेत्र के गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाएं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के प्रति समान प्रकार से चिन्तन करते है।

3. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष : ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सेवारत् अध्यापक एवं अध्यापिकाएं शिक्षा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में एक समान दृष्टिकोण रखते है।

4. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र के गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष : ग्रामीण क्षेत्र के गैर–सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में सेवारत् अध्यापक एवं अध्यापिकाएं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्भावनाएं एवं समस्याओं के प्रति लगभग एक समान सोचतें है।

संदर्भ सूची

- अग्रवाल, जे० सी० (1999), ''एजुकेशन इन एमर्जिग इण्डिया'', दोआब हाउस, दिल्ली।
- अग्रवाल, जे०सी० (2003) ''टीचर एण्ड एजूॅकेशन इन ए डेवलपिंग सोसाइटी'', विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- अग्रवाल जेसी, (2000), ''लैण्डमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ मार्डन इण्डियन एजूॅकेशन'', विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- अग्रवाल, अर्चना (2001) ''स्टडी ऑफ नॉन–एनरोलमैन्ट एण्ड ड्रोपआउट अमॉंग गर्ल्स एट प्राईमरी लेवल''।

- अहमद, मंजूर, कोलेट केबॉट, अरूण जोशी एंड रोहिणी पांडेय, (1993) ''प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑलः लर्निग फ्रॉम द बी.आर.सी. एक्सपीरिएंस, ए केस स्टडी, प्रोजेक्ट'' ए.बी.ई.एल. (एडवांस बेसिक एजुकेशन एंड लिट्रेसी), वांशिगटन डी,सी एकेडमी ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट।
- भटनागर, ''इण्डिया एजुकेशन टुडे एण्ड टूमारो'' इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ, उत्तर प्रदेश, इण्डिया।
- Alexander, R.J (2008), "Education for All, the Quality Imperative and the Problem of Pedagogy, Consortium for Research on Educational Acess, Transitions and Equity" (CReATe): University of London.
- Aarti Dhar (1 April 2010). "Education is a Fundamental Right now". The Hindu.